



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3900]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2019/अग्रहायण 13, 1941

No. 3900]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019/AGRAHAYANA 13, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 04 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4344 (अ).—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, शिमला के उच्च न्यायालय में मुख्यन्यायाधीश के परामर्श से सिविल न्यायाधीश-सह जेएमआईसी (3), शिमला तथा सिविल न्यायाधीश-सह जेएमआईसी (2), हमीरपुर को, उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क की उपधारा (1) तथा काला धन (अप्रकटित विदेशी आय आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहीत करते हैं।

[अधिसूचना सं. 102/2019 / फा. सं. 285/36/2019-आईटी(अन्वे.V) सीबीडीटी]

डॉ. जाकिर थाँमस, आयकर आयुक्त (ओएसडी)(अन्वे.), सीबीडीटी